

- पंजीकरण की तिथि से क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ ।
- **चिकित्सा लाभ:** प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की चिकित्सा सुविधा – स्वयं एवं परिवार के लिए ।
- **नकद लाभ:** बीमारी, प्रसूति, और कार्यस्थल पर चोट या मृत्यु की स्थिति में
- क.रा.बी.नि. मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में बीमित व्यक्ति (आई.पी.) योजना के तहत आरक्षित सीटें

व्याप्ति की तिथि:

नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि से व्याप्ति प्रभावी होगी।

इस अवसर को न चूकें!

आज ही पंजीकरण करें – अपने मानसिक सुकून के लिए और अपने कार्यबल एवं उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने हेतु।

पंजीकरण कैसे करें?

👉 वेबसाइट पर जाएं:

www.esic.gov.in

📖 सहायता हेतु देखें:

https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_registration_through_portal.pdf

🌀 श्रम सुविधा पोर्टल:

<https://registration.shramsavidha.gov.in/user/register>

🏠 MCA पोर्टल:

www.mca.gov.in

एसपीआरईई- 2025

□□□□□□□□ □□□□□□□□ |

□□□□□ □□□□□□□□ |

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□

विशेष पंजीकरण अवधि 31 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक

और अधिक जानने के लिए देखें:

 <https://www.esic.gov.in>

या संपर्क करें: अपने निकटतम शाखा कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय से


 टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526




□□□□□□□□ 2025 □□□□ □□?


एसपीआरईई 2025 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की एक एकमुश्त विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य उन **अपंजीकृत नियोक्ताओं** को स्वयं पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने अपने सभी पात्र कर्मचारियों को अभी तक क.रा.बी.नि. में पंजीकृत नहीं किया है।

 □□□□ :

1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक

 □□□□□□□□ :

- पंजीकरण की तिथि से क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ ।
-  **चिकित्सा लाभ** – प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सुविधा, स्वयं एवं परिवार के लिए ।
-  **नकद हितलाभ** – बीमारी, प्रसूति, चोट या कार्य के दौरान मृत्यु की स्थिति में
-  **क.रा.ब.नि. मेडिकल/डेंटल कॉलेजों** में आईपी योजना के तहत आरक्षित सीटें ।

 □□□□□□□□ □□□□ :

नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि से व्याप्ति शुरू मानी जाएगी।

 □□ □□□□ □□ □ □□□□□ !

आज ही पंजीकरण करें — अपने मानसिक सुकून के लिए और अपने कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए एक **सुरक्षित व संरक्षित भविष्य** सुनिश्चित करने हेतु।